कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी।

दिनांक 25 मार्च 2020

संख्याः 1737/जि0पू0अ0/कोविड–19/2020

कार्यालय ज्ञाप

कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत सरकार द्वारा पूरे देश में दिनांक 25.03.2020 से 14.04.2020 तक सम्पूर्ण लॉकडाउन किया गया है। चिकित्सा अनुभाग–5, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के कार्यालय आदेश संख्या 693/पॉच–5–2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 (**छाया प्रति संलग्न**) के अन्तर्गत कोरोना वायरस (कोविड़–19) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर समस्त सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अर्ध सरकारी उपकम, स्वायत्तशासी संस्थायें, राजकीय निगम/मण्ड़ल एवं समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, मॉल्स, दुकाने, फैक्ट्रियॉ, वर्कशॉप, गोदाम एवं सार्वजनिक परिवहन(रोजवेज, सिटी परिवहन, प्राइवेट बसे, टैक्सी, आटो रिक्शा आदि) पूर्णतया बन्द रहेगें।

राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्थिति का ऑकलन कर आवश्यक सेवाओं को परिभाषित किया जा सकेगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निम्न सेवाओं को आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित किया गया है:–

1. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
2. चिकित्सा शिक्षा।
3. गृह एवं गोपन/कारगार प्रशासन एवं सुधार (पुलिस/शस्त्र बल एवं अर्द्वसैन्य बल)
4. कार्मिक विभाग एवं जिला प्रशासन।
5. ऊर्जा (समस्त बिजली के कार्यालय व बिलिंग सेन्टर)
6. नगर विकास।
7. खाद्य एवं रसद (फल/सब्जी/दूध/डेरी/किराना/पेयजल/चिकेन/अंडा/मीट)
8. आपदा एवं राहत एवं राज्य सम्पत्ति विभाग।
9. सूचना, जनसम्पर्क एवं सूचना प्रौद्योगिकी।
10. अग्निशमन/सिविल डिफेन्स।
11. आपातकालीन सेवायें।
12. टेलीफोन/इन्टरनेट/डेटा सेन्टर/नेटवर्क सर्विसेज/आई0टी0 इनेबिल्ड सर्विसेज एवं आई0टी0 संबधित सेवायें, ऐसे डेटा सेन्टर जो आई0टी0सर्विसेज के संचालन के लिए आवश्यक है।
13. डाक सेवायें।
14. बैंक/एटीएम/बीमा कम्पनियॉ/विभिन्न एजेंसियों के वर्दीधारी सुरक्षागार्ड।
15. ई–कामर्स (खाद्य वस्तु, होम डिलीवरी, ग्रोसरी)।
16. प्रिंट, इलेक्ट्रानिक मीडियॉ, सोशल मीडियॉ।
17. पेट्रोल पम्प/एल0पी0जी0गैस, ऑयल एजेन्सी (इनसे सम्बन्धित गोदाम एवं परिवहन के साधन)।
18. दवा की दुकान, चिकित्सीय उपकरण, सामग्री एवं दवॉइयों की निर्माण इकाईयॉ।
19. आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, खाद्य सामग्री, कृषि उत्पाद एवं उनसे सम्बन्धित निर्माण इकाइयॉ एवं उनके थोक एवं फुटकर विक्रेता।
20. पशु पक्षी चिकित्सा एवं पशु पक्षी, मत्स्य आहार से सम्बन्धित इकाइयॉ एवं विक्रेता।

अतः उपरोक्त सेवाओं से सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि जनपद बाराबंकी में दिनांक 25 मार्च, 2020 से दिनांक 14 अप्रैल 2020 तक लॉक डाउन के दौरान उपरोक्त सेवाओं के निर्बाध आपूर्ति हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगें तथा उपरोक्त सेवाओं में लगे कार्मिकों एवं वाहनों को अपने स्तर से पास निर्गत करेंगें किन्तु पास निर्गत करने से पूर्व पास पर

Scanned with CamScanner

अधोहस्ताक्षरी का अनुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त करने उपरान्त ही पास सम्बन्धित व्यक्तियों एवं वाहनों को निर्गत करेगें।

(डॉ0 आदर्श सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट
बाराबंकी।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. पुलिस अधीक्षक बाराबंकी।
2. मुख्य विकास अधिकारी बाराबंकी।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी बाराबंकी।
4. अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0 / रा0) बाराबंकी।
5. समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट जनपद बाराबंकी।
6. उपरोक्तानुसार समस्त विभागाध्यक्ष को अनुपालनार्थ।
7. ई–डिस्ट्रिक मैनेजर श्री धर्मेन्द्र उपाध्याय को इस निर्देश सहित कि उपरोक्त विभागध्यक्षों के नाम / पदनाम / मोबाइल नम्बर की एक सूची तैयार कर एन0आई0सी0 के बेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

जिला मजिस्ट्रेट,
बाराबंकी।

Scanned with CamScanner